2018/00198

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 126/2018 (अपील)

उनवान

प्रहलाद किशोर आ0 कजोड जाति गुर्जर निवासी बागली तहसील पीपल्दा हाल इन्द्रगढ जिला बून्दी

(अपीलाण्ट)

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द सिंह चौहान (राजकीय अभिभाषक)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश इंतकाल नं0 563
दिनांक 06.06.2018

निर्णय दिनांक : 12.12 .2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा खारिज नामा0 सं0 563 दिनांक 06.06.2018 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अपीलांट के पिता खातेदार कजोड पुत्र रामसुख गुर्जर निवासी बागली मूल निवासी इन्द्रगढ जिला बून्दी के खाते की भूमि ख0 नं0 566/173 रकबा 1.08 हैक्टर वाके माल बागली तहसील पीपल्दा मे स्थित हैं । अपीलांट के पिता का स्वर्गवास इन्द्रगढ जिला बून्दी मे दिनांक 17.12.1974 को हो चुका है । अपीलान्ट ही केवल मात्र अकेला पुत्र वारिस है । अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास हो चुका है । अपीलांट ने रेस्पो0 के समक्ष फोती इन्तकाल तस्दीक करने हेतु दिनांक 15.11.2017 को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया था जिस पर बाद जांच व रिपोर्ट के आधार पर पटवारी बागली ने नामान्तरकरण सं0 563 दि0 13.01.2018 को भरकर तस्दीक हेतु पेश किया जिसे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपुष्ट रिपोर्ट दिनांक 15.05.2018 के आधार पर अपीलांट की साक्ष्य के विरूद्व दिनांक 06.06.2018 को नामान्तरकरण नं0 563 खारिज कर दिया जबकि पटवारी हल्का इन्द्रगढ एवंव पटवारी बागली की रिपोर्ट मे भिन्नता है । अपीलांट ने अपने शपथ पत्र एवं नगर पालिका इन्द्रगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित कर दिया था कि मृतक खातेदार कजोड का अपीलांट ही एक मात्र वारिस है । अपीलान्ट के कोई बहिन नही है । इसके बावजूद अपीलांट के पक्ष मे खोला गया नामान्तरकरण कानूनी प्रावधानों के विपरित खारिज किया गया है । जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि निर्णय जेर अपील का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम राजस्व केम्प की समाप्ति के बाद दि0 25.07.2018 को करने पर नामा0 खारिज होने की जानकारी मिली जिसके पश्चात तहसील मे जाकर निर्णय की जानकारी कर दिनांक 30.07.2018 को नकल प्राप्त कर न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को न्यायहित मे कन्डोन फरमाते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा मृतक कजोड का एक मात्र वारिस होने के आधार पर पर स्वंय के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने व अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

5. रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट के कथनों का समर्थन किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है ।

विवादित नामा0 सं0 563 में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गयी है कि मजमे आम केम्प मे जांच करने पर ग्रामवासियों द्वारा मृतक के वारिसान मे एक पुत्र व 3 पुत्रियां बताई है किन्तु ग्रामवासियों द्वारा पुत्रियों का नाम बताने मे असमर्थता जाहिर की । भू अभि0 निरीक्षक द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ की रिपोर्ट व ग्रामवासियों द्वारा दी गयी जानकारी मे भिन्नता होने से नामान्तरकरण खारिज करने की रिपोर्ट की जिसके आधार पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा नामान्तरकरण खारिज किया गया ।

7.. प्रश्नगत नामान्तरकरण मृतक कजोड वल्द रामसुख के फोत होने पर उसके वारिसान के हक में तस्दीक किया जाना था जिसकी पूर्ण रूप से जांच नही करना साबित होता है । अत : अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामा0 सं0 563 दिनांक 06.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि वह मृतक कजोड के विधिक वारिस की जांच करके पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करें ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 12.12..2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

[illegible] 6.6.2018 का नामांतरण नम्बर- 563 [illegible]